(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 05/2024

पंजीकरण संख्या :– 2024/21

बउनवान

श्री किशोर कुमार पुत्र श्री भैरव मण्डल जाति चांडाल निवासी ग्राम घट्टी तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 18.03.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.10.2023 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.), बारां के पत्र क्रमांक/एफ–16(6) भू.अ./रिकार्ड/2021/5084–91 दिनांक 27.10.2021 के संदर्भ में सूचना चाही गई थी। इसके संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद के ऑनलाइन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 19.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद को जरिये सम्मन कमांक 210–211 दिनांक 19.02.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन कमांक 210–211 दिनांक 19.02.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद द्वारा पत्र क्रमांक/रीडर/2024/77–78 दिनांक 18.03.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:56 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शा[illegible] अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन पत्र में कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.), बारां के पत्र क्रमांक/एफ–[illegible]) भू.अ./रिकार्ड/ 2021/5084–91 दिनांक 27.10.2021 के संदर्भ में सूचना चाही [illegible] लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद द्वारा प्रकरण में कार्यालय [illegible]/2024/77–78 दिनांक 18.03.2024 से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी [illegible] भी दी जाकर अवगत [illegible] गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद ने पटवारी हल्का ग्राम नाटई पटवार मण्डल अजरोडा से रिपोर्ट चाही। रिपोर्ट के मुताबिक पटवारी हल्का के अनुसार ग्राम नाटई की जमाबंदी में पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटन भूमि में खातेदारों की जाति बंगाली दर्ज है जो कि आवंटन के समय से हीं रिकार्ड में दर्ज है। इस स्थिति में खातेदार द्वारा जाति में संशोधन हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/रीडर/2024/77–78 दिनांक 18.03.2024 से इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित भी नहीं किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार शाहबाद से क्या सूचना चाही गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद को आदेशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आपके कार्यालय में प्राप्त होने वाले ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही गई सूचना अथवा उससे संबंधित जवाब आवेदनकर्ता को अन्दर समय सीमा 01 माह में आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **18.03.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:56 IST
Reason: SelfAttested